न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, **RAS**

प्रकरण संख्या : 67 / 2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023 / 77

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. श्री अंकुश जैन पुत्र श्री बलभ्रद कुमार जैन निवासी मकान नं. 575 बाहुबली कॉलोनी बांसवाडा मैसर्स एस.आर. मार्ट, कॉलेज रोड, बांसवाडा मो. न. 8107483260 2. श्री आयुष जैन पुत्र श्री विरेन्द्र जैन निवासी मकान नं. 675 बाहुबली कॉलोनी बांसवाडा मैसर्स सनमति एसोसिएट्स लाईन न. 6 बाहुबली कॉलोनी, बांसवाडा मो.न. 7023543540 3. श्री राजेन्द्र प्रसाद डांगायच (मालिक) मैसर्स सावन एन्टरप्राईजेज, जी–15, शुभम अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर, जयपुर पिन कोड 302023 मो.न. 9829058421 4. मैसर्स आनन्दा डेयरी लिमिटेड (फॉरमर्ली गोपाल जी डेयरी फुड प्रा.लि.) 4141 पांडव नगर, नारायणा बस डिपो के सामने न्यू देहली–110008

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12–05–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **06–10–2023** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **07–10–2022** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] की जाँच हेतु **मैसर्स एस.आर. मार्ट, कॉलेज रोड, बांसवाडा** पर पहुंचा। [illegible] श्री अंकुश जैन पुत्र श्री बलभ्रद कुमार जैन उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स एस.आर. मार्ट, कॉलेज रोड बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा) 500 एम.एल के 20 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त** खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा)** गुणवत्ता की कमी / मिसब्राण्ड होने का संदेह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा) 500 एम.एल के 4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1084/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा) 500 एम.एल के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1207** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/364 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 838 दिनांक 18–10–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1207** Misbranded food under section 3(1)(Zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने के द्वितीय भाग की जांच करवाने बाबत् फार्म नं. 8 में आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) बांसवाडा को आवेदन प्रस्तुत नही किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने **मैसर्स** [illegible]**ट, कॉलेज रोड, बांसवाडा** को फर्म से सम्बन्धित सूचनाऐं चाहने हेतु [illegible] उक्त फर्म द्वारा संबंधित दस्तावेज एवं **मैसर्स सावन एन्टरप्राईजेज, जी–15, शुभम अ**[illegible]**मेन्ट, विद्याधर नगर, जयपुर** से अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

मैसर्स सावन एन्टरप्राईजेज, जी–15, शुभम अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर, जयपुर को फर्म से सम्बन्धित सूचनाऐं चाहने हेतु पत्र लिखा जिसके जवाब में उक्त फर्म द्वारा संबंधित दस्तावेज एवं **मैसर्स आनन्दा डेयरी लिमिटेड (फॉरमर्ली गोपाल जी डेयरी फुड प्रा.लि.) 4141 पांडव नगर, नारायणा बस डिपो के सामने न्यू देहली** से अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया।

मैसर्स आनन्दा डेयरी लिमिटेड (फॉरमर्ली गोपाल जी डेयरी फुड प्रा.लि.) 4141 पांडव नगर, नारायणा बस डिपो के सामने न्यू देहली को फर्म से सम्बन्धित सूचनाऐं चाहने हेतु पत्र लिखा जिसके जवाब में उक्त फर्म द्वारा संबंधित दस्तावेज सम्बन्धित सूचनाऐं चाही गई किन्तु उक्त फर्म द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 06–10–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 20–11–2023 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नोटिस बाद तामील पेश हुए एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री हेमेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 01.04.2024 को अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री हेमेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 07.05.2024 को अप्रार्थी सं.3 को पुनः जरिये रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किया गया जो कि डाक ट्रेक कन्साईन्मेंट रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के पते पर दिनांक 11.05.2024 को पहुच चुका है किन्तु अप्रार्थी सं. 3 दौराने सुनवाई आज दिनांक तक अनुपस्थित है। तत्पश्चात् भी समय समय पर अप्रार्थी सं. 3 को सूचना पत्र प्रेषित किये गये। किन्तु अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित रहा। दिनांक 17.02.2025 को अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 11.06.2024 को अप्रार्थी सं. 1, 2, 4 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। दिनांक 12.05.2026 को अप्रार्थी सं. 1, 2 ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निवेदन किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है वह इसकी पुनरावृत्ति नही करेंगे। उक्त अपराध को क्षमा कर पत्रावली निस्तारित फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी सं. 4 की ओर से अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि जिस दिनांक को उक्त नमूना संग्रहित किया गया था तब नमूना पैकेट पर बेस्ट बिफोर युज इन 6 मन्थ अंकित था। तात्कालिक समय में एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचना जारी कर एक्पायरी डेट अंकन सम्बन्धित जारी की गई थी। चुंकि जिस फर्म से नमूना लिया गया था उसमें अधिसूचना की दिनांक से पूर्व के बेच का माल पडा हुआ था। जिस कारण उस पर एक्पायरी डेट का अंकन नही होकर बेस्ट बिफोर.... का अंकन था। कंपनी द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही नये बेच में एक्सपायरी डेट अंकन करना लागु किया जा चुका है। लिये गये नमूने में किसी भी प्रकार से हानिकारक होना नही पाया गया है। अतः प्रकरण में नरमी का रुख अपनाकर प्रकरण निस्तारित करने का श्रम फरमावे।

विभागीय पैरोकार को सुना गया। विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/364 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 838 दिनांक 18–10–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1207** Misbranded food under section 3(1)(Zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। विक्रेतागणो द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/364 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 838 दिनांक 18–10–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1207** Misbranded food under section 3(1)(Zf) of food safety [illegible] dards act 2006 पाया गया। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना [illegible] है। चुंकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा मे उपस्थित रहे है तथा धारा 80(B) (2)(क) अनुसार खाद्य पदार्थ की बिक्री के मामले में अप्रार्थीगण ने खाद्य पदार्थ को उसी स्थिति में बेचा जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi.
Date: 2026.05.22 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)

स्थिति में और जब अप्रार्थी ने उसे खरीदा था। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया खाद्य पदार्थ **घी (आनन्दा)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो सं 3 व 4 को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगणो **मैसर्स सावन एन्टरप्राईजेज, जी–15, शुभम अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर, जयपुर व मैसर्स आनन्दा डेयरी लिमिटेड (फॉरमर्ली गोपाल जी डेयरी फुड प्रा.लि.) 4141 पांडव नगर, नारायणा बस डिपो के सामने न्यू देहली को रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र)से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 12–05–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested